

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना


रायपुर, दिनांक 05/03/2014

क्रमांक एफ-10/८१/2014/वाक/पांच (५२) - छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (क्रमांक 13 सन् 1988) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ-10/२१/2010/वाक/पांच (२५) दिनांक 26.03.2010 में अंक "2014" के स्थान पर अंक "2015" प्रतिस्थापित किया जाए।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(ए.पी. त्रिपाठी) ५३१५
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक ०५/०३/२०१४

क्रमांक एफ-10/०१/2014/वाक/पांच (५२) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/८१/2014/वाक/पांच (५२), दिनांक ५/३/२०१५ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(ए.पी. त्रिपाठी) ५३१५
संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya
Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

NOTIFICATION


Raipur, Dated 04/03/2014

No. F-10/ 61 /2014/CT/V (42) – In exercise of the powers conferred by section 9 of the Chhattisgarh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon Par Kar Adhiniyam, 1988 (No. 13 of 1988), the State Government hereby makes the following amendment:-

AMENDMENT

In the notification number F-10/21/2010/CT/V (25) dated 26-03-2010, for the figure “2014”, the figure “2015” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(A.P. Tripathi) 11/3/14
Joint Secretary